



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255721
CG-DL-E-25072024-255721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2789]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2789]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2926(अ.).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4734 (अ) तारीख 30 अक्टूबर 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -2 (नए रा. रा. सं -19) के कि.मी. 93.8 से कि.मी.176.76 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05 दिसंबर 2023" को "द हिन्दू" और "आज" दोनों में प्रकाशित किया गया था; और शुद्धिपत्र तारीख "21 दिसंबर 2023" समाचार पत्र आज में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -2 (नए रा. रा. सं -19) के कि.मी. 93.8 से कि.मी.176.76 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: मथुरा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: छाता					
गांव का नाम: कोसीकलां					
1	1644	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.0425	प्रकाश चंद/नंदीलाल, कृष्ण गोपाल/नंदीलाल, श्रीमती अंजू/उपेंद्र, निरंजनलाल शर्मा/बौहरे लक्ष्मी नारायण शर्मा
2	1647	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.05	प्रकाश चंद/नंदीलाल/निवासी गांव, कृष्ण गोपाल/नंदीलाल/निवासी गांव, सुमन देवी/ओमवीर सिंह/निवासी गांव, ओमवीर सिंह/मान सिंह/निवासी गांव, श्रीमती अंजू/उपेंद्र/निवासी निरंजन शर्मा / लक्ष्मी नारायण / ग्राम निवासी
3	1651	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.024	तरुण कुमार/दया राम निवासी ग्राम, श्रीमती सीमा अग्रवाल/तरुण कुमार निवासी ग्राम, श्रीमती मूर्ति देवी/तुलसी राम निवासी ग्राम, निर्माण नावा 14 वर्ष/मुकेश कुमार, श्रीमती रेखा रानी माता/निवासी ग्राम, ध्वनि नावा 9 वर्ष/मुकेश कुमार, श्रीमती रेखारानी माता/निवासी ग्राम, श्रीमती रेखारानी/मुकेश

					कुमार/निवासी ग्राम
4	1652	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.0167	अनुज कुमार/भगवती शरण, अवदेश कुमार नावा एजीई 15 यर्स/भगवती शरण माता मालती देवी
5	191	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.0352	श्रीमती पुष्पलता/चेतनदास, राजेंद्र कुमार/पन्नालाल, विजय कुमार/कन्हियालाल, अजय कुमार/कन्हियालाल, राजेंद्र कुमार/कन्हियालाल
6	192	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.024	श्रीमती सुमनलता/ओमवीर, श्रीमती पुष्पलता/चेतनदास, विजय कुमार/कन्हैया लाल, अजय कुमार/कन्हैया लाल, राजेंद्र कुमार/कन्हैया लाल, राजेंद्र कुमार/पन्ना लाल
7	199	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.004	तेजपाल/रामशरण, नाथी उर्फ नारायण सिंह/रामशरण, केशवदेव/लछिमन, राधेलाल/रणछोर, सुरेश/रणछोर, धर्म सिंह/रणछोर, गयालाल/विजयराम, शेर सिंह/विजयराम, मदनलाल/छत्रपाल, चतुर्भुज/छत्रपाल, सचिन/फूलचंद, राहुल /फूलचंद, महेंद्र/फूलचंद, दीपक नावा 13 वर्ष/फूलचंद, गीता देवी माता, श्रीमती गीता देवी/फूलचंद, कु सपना/फूलचंद
8	200	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.004	श्रीमती पुष्पलता/चेतनदास, राजेंद्र कुमार/पन्नालाल, विजय कुमार/कन्हियालाल, अजय कुमार/कन्हियालाल, राजेंद्र कुमार/कन्हियालाल
9	201	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.036	श्रीमती पुष्पलता/चेतनदास, राजेंद्र कुमार/पन्नालाल, विजय कुमार/कन्हियालाल, अजय कुमार/कन्हियालाल, राजेंद्र कुमार/कन्हियालाल

10	202	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.0096	श्रीमती पुष्पलता/चेतनदास, राजेंद्र कुमार/पन्नालाल, विजय कुमार/कन्हियालाल, अजय कुमार/कन्हियालाल, राजेंद्र कुमार/कन्हियालाल
11	203	निजी (निजी)	गैर कृषि	0.048	श्रीमती पुष्पलता/चेतनदास, राजेंद्र कुमार/पन्नालाल, विजय कुमार/कन्हियालाल, अजय कुमार/कन्हियालाल, राजेंद्र कुमार/कन्हियालाल
Total				0.294	

[फा. सं. 11012/Ph. V/NH-2/LA/DA/DK-II/2009/3D1]

अभय जैन, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2926(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O.4734(E) Dated 30 October 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-2 (New NH-19) in the stretch of land from Km. 93.8 to Km. 176.76 in the district of MATHURA in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu” and “Aaj” both dated 05th December 2023; & Corrigendum Published in "Aaj" newspaper dated 21st December 2023 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-2 (New NH-19) in the stretch of land from Km. 93.8 to Km. 176.76 in the district of MATHURA in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: MATHURA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chhata					
Village: Kosikalan					
1	1644	Private	Non Agriculture	0.0425	Prakash Chand/Nandilal, Krishan Gopal/Nandilal, Smt Anju/Upender, Niranjnall Sharma/Bhore Laxmi Narayan Sharma
2	1647	Private	Non Agriculture	0.05	Prakash Chand/Nandilal/ R/o Village, Krishan Gopal/Nandilal/ R/o Village, Suman Devi/Omveer Singh/ R/o Village, Omveer Singh/Maan Singh/ R/o Village, Smt Anju/Upender/ R/o Village, Niranjn Sharma/Laxmi Narayan/ R/o Village
3	1651	Private	Non Agriculture	0.024	Tarun Kumar/Daya Ram R/o Village, Smt. Seema Aggarwal/Tarun Kumar R/o Village, Smt. Murti Devi/Tulsi Ram R/o Village, Nirman Naava 14 years/Mukesh Kumar, Smt. Rekha Rani mother/ R/o Village, Dhvani Nawa 9 years/Mukesh Kumar, Smt. Rekharani mother/ R/o village, Smt. Rekharani/Mukesh Kumar/ R/o Village

4	1652	Private	Non Agriculture	0.0167	Anuj Kumar/Bhagwati Sharan, Avdesh Kumar naava age 15 years/Bhagwati Sharan Mother Malti Devi
5	191	Private	Non Agriculture	0.0352	Shrimati Pushplata/Chetandass, Rajender Kumar/Pannalal, Vijay Kumar/Kanhiyalal, Ajay Kumar/Kanhiyalal, Rajender Kumar/Kanhiyalal
6	192	Private	Non Agriculture	0.024	Shrimati Sumanlata/Omvir, Shrimati Pushplata/Chetandass, Vijay Kumar/Kahniya Lal, Ajay Kumar/Kahniya Lal, Rajender Kumar/Kahniya Lal, Rajender Kumar/Panna Lal
7	199	Private	Non Agriculture	0.004	Tejpal/Ramsharan, Nathi urf Narayan Singh/Ramsharan, Keshavdev/Lachiman, Radhelal/Ranchor, Suresh/Ranchor, Dharam Singh/Ranchor, Gayalal/Vijayram, Sher Singh/Vijayram, Madanlal/Chatrpal, Chaturbhuj/Chatrpal, Sachin/Phoolchand, Rahul/Phoolchand, Mahender/Phoolchand, Deepak Naava 13 years/Phoolchand, Geeta Devi mother, Smt Geeta Devi/Phoolchand, Kumari Sapna/Phoolchand
8	200	Private	Non Agriculture	0.004	Shrimati Pushplata/Chetandass,

					Rajender Kumar/Pannalal, Vijay Kumar/Kanhiyalal, Ajay Kumar/Kanhiyalal, Rajender Kumar/Kanhiyalal
9	201	Private	Non Agriculture	0.036	Shrimati Pushplata/Chetandass, Rajender Kumar/Pannalal, Vijay Kumar/Kanhiyalal, Ajay Kumar/Kanhiyalal, Rajender Kumar/Kanhiyalal
10	202	Private	Non Agriculture	0.0096	Shrimati Pushplata/Chetandass, Rajender Kumar/Pannalal, Vijay Kumar/Kanhiyalal, Ajay Kumar/Kanhiyalal, Rajender Kumar/Kanhiyalal
11	203	Private	Non Agriculture	0.048	Shrimati Pushplata/Chetandass, Rajender Kumar/Pannalal, Vijay Kumar/Kanhiyalal, Ajay Kumar/Kanhiyalal, Rajender Kumar/Kanhiyalal
Total				0.294	

[F. No. 11012/Ph. V/NH-2/LA/DA/DK-II/2009/3D1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.